संख्या-594/2017/311/22-2-2017-17(217)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 27 जुलाई, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमला पुत्र श्री मुन्नीलाल, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3 /2016 (एम-17.11.2016) दिनांक-16.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 16.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कमला पुत्र श्री मुन्नीलाल, ग्राम अलोपीखेडा (अलाउद्दीनखेडा), थाना सफीपुर, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बन्दी ने अवैध सम्बन्धों में महिला के पडोसी द्वारा रोके/मना करने पर रंजिश मानते हुए दिनांक 15.08.2000 को समय 11.30 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेन्सी बन्दूक, तमंचा व अद्धी से गोली मारकर रामजीवन व जगदान की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/2001 तथा 14/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148,, 307/149, 302/149 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5, उन्नाव के आदेश दिनांक 25.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.2016 तक 16 वर्ष 02 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 09 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने अवैध सम्बन्धों में महिला के पडोसी द्वारा रोके/मना करने पर रंजिश मानते हुए दिनांक 15.08.2000 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेन्सी बन्दूक, तमंचा व अद्धी से गोली मारकर रामजीवन व जगदान नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, जिसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कमला पुत्र श्री मुन्नीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कमला (बन्दी संख्या-20174) पुत्र श्री मुन्नीलाल, निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-594/2017/311(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-उन्नाव।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-594/2017/311@22-2-2016-17(217)/2017

दिनांक 27 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध बन्दी कमला (बन्दी संख्या-20174) पुत्र श्री मुन्नीलाल, ग्राम अलोपीखेडा (अलाउद्दीनखेडा), थाना सफीपुर, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बन्दी ने अवैध सम्बन्धों में महिला के पडोसी द्वारा रोके/मना करने पर रंजिश मानते हुए दिनांक 15.08.2000 को समय 11.30 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेन्सी बन्दूक, तमंचा व अद्धी से गोली मारकर रामजीवन व जगदान की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/2001 तथा 14/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148,, 307/149, 302/149 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5, उन्नाव के आदेश दिनांक 25.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.2016 तक 16 वर्ष 02 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 09 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने अवैध सम्बन्धों में महिला के पडोसी द्वारा रोके/मना करने पर रंजिश मानते हुए दिनांक 15.08.2000 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेन्सी बन्दूक, तमंचा व अद्धी से गोली मारकर रामजीवन व जगदान नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, जिसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कमला पुत्र श्री मुन्नीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in